न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार बहक श्री कल्पनाकँवर

जरिये पटवार हल्का भकरी पुत्र श्री W/O जबरसिंह

जाति राजपूत नि. ढूलार

मुकदमा नं. 18 /2019 राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 13/3/19

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम शीला भकरी खसरा नम्बर 357 रकबा 2.42 हैक्टर किस्म नदी (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री कल्पनाकँवर W/O पुत्र श्री जबरसिंह जाति राजपूत निवासी ढूलार (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़ लगा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी का नोटिस परिवार के सदस्यों से तामिल शुदा प्राप्त। अप्रार्थी द्वारा बार-बार समय चाहने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया, अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम शीला भकरी ख.न. 357 रकबा 2.42 किस्म नदी पर संवत 2075 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़ लगा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 6 रु प्रति हैक्टर का 50 गुणा रूपया 726/- (रूपये सात सौ छब्बीस रुपये) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी भु. अभिलेख निरीक्षक बोरावड़ एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/19 का सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

पंजिका सं. बच 2019-20 के पृष्ठ सं. 54

पर प्रा० सं० 726 रु० की

प्रविष्टि की गई।

तकमील ...

Scanned by CamScanner